रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072022-237121 CG-DL-E-06072022-237121

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483] No. 483] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/ आषाढ़ 15, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 521(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 के 23) की धारा 51 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(लेखाओं और दस्तावेज़ों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2015, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. (1) इन नियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(लेखाओं और दस्तावेज़ों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) संशोधन नियम,2022 कहा जाएगा।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(लेखाओं और दस्तावेज़ों के वार्षिक विवरण का प्रारूप)नियम,2015 में,-
- (i) अनुसूची 3 में,मद 3 के अंतर्गत प्रविष्टियों में,उप मद (ख) में,खंड (iii) के बाद निम्नलिखित खंड को अंतर्विष्ट किया जाएगा,अर्थात्-

"(iv)अन्य";

(ii) अनुसूची 7 में, मद 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए"वर्तमान दायित्व" शीर्षक के अंतर्गतनिम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात:-

"6.अन्य वर्तमान दायित्वों

(क) अन्य(विनिर्दिष्ट करना)";

4576 GI/2022 (1)

- (iii) अनुसूची 21 में-
 - (क) मद 23, 24 और 25 को विल्प्त किया जाएगा; और
 - (ख) मद 26 से 32 को क्रमश: उसके 23 से 29 तक पुनरांकित किया जाएगा।

[फा. सं. 1/4/2019 पीआर]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: 26 जून 2015 की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 519(अ) के तहत 30 जून, 2015 को मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2022

- **G.S.R. 521(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (h) of sub-section (2) of section 51 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Amendment Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Form of Annual Statement of Accounts and Records) Rules, 2015,-
- (i) in Schedule 3, in the entries under item 3, in sub-item (b), after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(iv) Others";
- (ii) in Schedule 7, under the heading "CURRENT LIABILITIES" for item 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-
 - "6. Other Current Liabilities
 - (a) Others (Specify)";
- (iii) in Schedule 21, -
 - (A) items 23, 24 and 25 shall be omitted; and
 - (B) items 26 to 32 shall respectively be renumbered as items 23 to 29 thereof.

[F. No. 1/4/2019 PR]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), dated the 30th June, 2015, vide notification number G.S.R. 519 (E), dated the 26th June, 2015.